संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक / प्रशि. / 2014 / भोपाल, दिनांकः / 08 / 2014

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– राज्य शासन के विभागों / कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए आई.टी. प्रशिक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, का पत्र क्र. / एफ–14–16 / 2013 / 56 दिनांक 06 जुलाई / अगस्त, 2014

==0==

उपरोक्त विषय में लेख है कि म.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र विभागीय वेबसाइट http://www.health.mp.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन करें। इस पत्र में आई. टी. एवं ई–गवर्नेस उपकरणों का समुचित आयोग एवं इस हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये आई.टी. प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की जानकारी दी गयी है।

अतः आप कृपया अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संदर्भित पत्र में दिये निर्देशों से अवगत कराते हुये इन उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ. बी.एस. ओहरी)
संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / प्रशि. / 2014 / 564 भोपाल, दिनांकः 30 / 08 / 2014

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

नस्ती क्र 1311 ... (अ.प्र.)
आवक दिनांक 20/8/14
आवक दिनांक 23/8/14

मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक/एफ-14-16/2013/56, भोपाल, 06 जुलाई, 2014

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागायुक्त,
5. समस्त जिला कलेक्टर,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय : राज्य शासन के विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आई.टी. प्रशिक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी।

संदर्भ : विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 103/2014/56 दिनांक 15 जनवरी, 2014.

----

1. कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिएगा। उक्त पत्र में आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स उपकरणों का समुचित उपयोग किये जाने के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित आई.टी. अधोसंरचना के अंतर्गत मंत्रालय में स्थापित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयों एवं व्यक्तिगत दैनंदनी उपयोग में आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स आधारित कार्यप्रणाली के अंतर्गत दक्षता से कार्यो के निर्वहन हेतु मानव संसाधन को तैयार किये जाने के संबंध में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र में चलाये जा रहे सामान्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रेषित की गई थी।

2. विभाग द्वारा वर्तमान में मंत्रालय स्थित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र तथा इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, मुरैना, सिवनी, रीवा, छतरपुर, मंदसौर, देवास, खण्डवा, शहडोल, होशंगाबाद, गुना एवं जबलपुर जिलों में स्थापित क्षेत्रीय आई.टी. दक्षता संवर्धन केन्द्रों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार पाठ्यक्रमों का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है:-

- बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
- डेटा एंट्री प्रशिक्षण।
- यूनिकोड प्रशिक्षण।
- इंटरनेट एवं ई-मेल प्रशिक्षण।
- नई आई.टी. तकनीकों का प्रशिक्षण।
- विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का प्रशिक्षण।
- विभाग/कार्यालय की विशिष्ट आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण।

3. विभाग द्वारा आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स की वर्तमान आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अतिरिक्त शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निम्न विशिष्ट प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने निर्णय लिया गया है :-

   - क्लाउड कम्प्यूटिंग।
   - साइबर सिक्यूरिटी।
   - डिजिटल हस्ताक्षर संबंधी प्रशिक्षण।
   - ई-मेल कार्यप्रणाली।
   - महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को आई.टी. प्रशिक्षण।

   उपरोक्त आई.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु एवं समयावधि संबंधित विभाग की सुविधा एवं आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तनीय है। ये नवीन पाठ्यक्रम सर्वप्रथम मंत्रालय स्थित आई.टी. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रारम्भ किये जायेंगे।

   सामान्यत: उपरोक्त सभी प्रशिक्षण सशुल्क आयोजित होते हैं तथा उपयोगकर्ता विभाग/कार्यालय को निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान करना होता है। प्रशिक्षण शुल्क अंतर्गत प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षक, रखरखाव, जलपान आदि सुविधाओं की लागत सम्मिलित होती है। यदि कोई विभाग स्वयं के संसाधनों से किसी विशेष आई.टी. प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु केवल प्रशिक्षण केन्द्र परिसर का उपयोग करना चाहता हो तो निश्चित उपयोग शुल्क के साथ उक्त प्रशिक्षण केन्द्र निर्धारित समय के लिए संबंधित विभाग के लिए अस्थाई रूप से आरक्षित किया जा सकता है।

5. प्रशिक्षण केंद्र की विशेषताएें -

(a) प्रशिक्षण केन्द्र में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है।

(b) प्रशिक्षण केंद्र पर 25 प्रतिभागियों को एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है|

(c) प्रशिक्षण केंद्र वातानुकूलित है।

(d) प्रशिक्षण केन्द्र पर समस्त प्रतिभागियों के लिए कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था है।

(e) प्रशिक्षण केंद्र में 2 अनुभवी आई.टी. प्रशिक्षकों की पदस्थापना की गई है जो प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करते है एवं केंद्र पर सभी कार्यालीन कार्यदिवसों में उपस्थित रहते है|

(f) प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण विषय से संबंधित लेखन एवं पाठन सामग्री का भी वितरण किया जाता है जिससे प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान एवं पश्चात विषय का अभ्यास करने में सहायता मिल सके|

(g) प्रशिक्षण केंद्र में आवशयकतानुसार समय-समय पर अतिथि विद्वानों की भी व्यवस्था की जाती है।

(h) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षणों का समावेश है।

(i) प्रशिक्षण पूरा होने पर समस्त प्रशिक्षणार्थियों का दक्षता परीक्षण टेस्ट के माध्यम से किया जाता है।

(j) प्रशिक्षण उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियो को मैप-आई.टी. की ओर से प्रमाण-पत्र वितरित किये जाते हैं।

(k) प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता के संबंध में ऑनलाईन फीडबैक प्राप्त किये जाते हैं ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार किये जा सके।

(l) प्रशिक्षण केंद्र का समय सभी कार्यालीन कार्यदिवसों में सुबह 10.30 से शाम 5.30 तक है|

6. आरक्षण/पंजीयन/अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क :-

आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स प्रशिक्षण केन्द्र कक्ष क्रमांक 68, भू-तल, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दूरभाष क्र. 0755-2769825
श्री विनय पाण्डे, प्रभारी अधिकारी- दूरभाष क्र. 0755-2518713, ई-मेल : vinaypandey@mpsedc.com

कृपया उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु विभागीय एवं कार्यालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि राज्य शासन के अधिकाधिक अधिकारी एवं कर्मचारी आई.टी. प्रशिक्षण सुविधा का लाभ ले सकें।

(हरिरंजन राव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र. क्रमांक/ F 14 - 16 /2013/56, भोपाल, 06 जुलाई, 2014 अगस्त

प्रतिलिपि :

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
18. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
20. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
21 प्रभारी अधिकारी/ प्रशिक्षकगण/ कंसलटेंट, मैप-आईटी भोपाल।

उप सचिव
म.प्र. शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग